,यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 28.2.2020

मि.न.101 / 2020

सरकार बनाम उदयसिंह वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 398 / 1.04 है0किस्म बंजड में से 0.50 है0, 399 / 2.00 है0 किस्म बारानी में से 0.75 है0 व 400 / 1.62 है0 किस्म बंजड में से 0.50 है0 पर उदयसिंह, दिनेश, बाबूसिंह पुत्रान कुन्दनसिंह, अशोक सिह पुत्र पृथ्वी सिह , मदनसिंह , हनुमान सिंह पुत्रान रिछपालसिंह जाति राजपूत सा0देह तहसील कोटपूतली ने तारामीरा की फसल कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये।गैर सायलान द्वारा मौखिक रूप से अतिक्रमण किया जाने की स्वीकारोक्ति की परन्तु कोई जबाब दस्तावेजात पेश नहीं किये गये।

अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायलान उदयसिंह, दिनेश, बाबूसिंह पुत्रान कुन्दनसिंह , अशोक सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह , मदन सिंह , हनुमान सिंह पुत्रान रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सा0देह0 तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 398 / 1.04 है0किस्म बंजड में से 0.50 है0, 399 / 2.00 है0 किस्म बारानी में से 0.75 है0 व 400 / 1.62 है0 किस्म बंजड में से 0.50 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलान द्वारा कास्त की गई तारामीरा की फसल को कब्जेराज लिया जाकर तारामीरा की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 7.00 रू. का पचास गुणा 350 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को

Scanned by CamScanner